यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल के माह 11/2014 से 10/2016 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11.11.2016 से 25.11.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री नवीन कुमार मौर्य द्वारा दिनॉक 12.11.2014 से 22.11.2014 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 10/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2014 से 10/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल का मुख्य कार्यकलाप चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा जनहित में समस्त क्रियाकलाप।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रुपये लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय		
2014–15	0	0	516.41	488.20	537.74	509.83	0	56.12
2015–16	0	0	613.93	557.99	975.76	852.06	0	179.64
2016–17 (UP to Sep. 2016)	0	0	504.09	373.71	248.26	182.32	0	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014–15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015–16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016–17 UP to Sep. 2016)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत महनिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड तथा जिला योजना, राज्य योजना से प्राप्त होते हैं। विभाग के संगठनात्मक ढांचे की स्थिति संलग्न हैं।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। विश्लेषण कियागया। जिला योजना एवं राज्य योजना के मरम्मत कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 1:- निष्फल व्यय रुपए 97.69 लाख

ट्रांज़िट हॉस्टल हल्द्वानी **के निर्माण कार्य पर रुपए 97.69 लाख** के व्यय के बाद भी कार्य अपूर्ण **रहना तथा अंतर्निहित उद्‌देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त रहना ।**

उत्तराखंड शासन के शासनादेश के द्‌वारा जनपद नैनीताल के हल्द्वानी मे ट्रांज़िट हॉस्टल के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की हल्द्‌वानी इकाई के प्राक्कलन रुपए 88.71 लाख के सापेक्ष टीएसी द्‌वारा परीक्षणोंप्रांत औचित्यपूर्ण लागत रुपए 71.21 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपए 25.00 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रूप मे अवमुक्त किया गया था। (मार्च 2008)

मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल के निर्माण कार्य से संबन्धित लेखा अभिलेखों के नमूना जांच (अक्टूबर 2016) मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु रुपए 25.00 लाख मार्च 2008 मे तथा रुपए 46.21 लाख की धनराशि शासनादेश से 02/2009 में अवमुक्त किया गया था, इस प्रकार कुल स्वीकृत राशि रुपए 71.21 लाख की धनराशि यथा समय कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया गया था। स्वीकृत कार्यों मे श्रेणी 3 के 12 आवास बनाया जाना था ।

कार्यदायी संस्था द्‌वारा सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने के मात्र आठ माह बाद दिनांक 23.10.2009 को ही रुपए 102.71 लाख का पुनिरक्षित आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, जिसे नवम्बर 2009 मे स्वीकृति हेतु निदेशालय प्रेषित किया गया था। जिसकी स्वीकृति शासनादेश द्‌वारा टीएसी के परीक्षणोप्रांत रुपए 97.69 लाख की वित्तीय एवं प्राशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपए 26.48 लाख की राशि अवमुक्त किया गया था। शासनादेश मे स्पष्ट रूप से उल्लेखित था की कार्य को समय से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए विलम्ब की स्थिति मे पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत नहीं किया जाएगा इसके बाद भी कार्यदायी संस्था द्‌वारा कार्य समय से पूर्ण नहीं किया गया और पुनः दिनांक 27.12.2014 को रूपये 163.76 लाख का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था। जिसकी स्वीकृति संप्रेक्षा तिथि तक अप्राप्त थी और कार्यदायी संस्था द्‌वारा सम्पूर्ण राशि रुपए 97.69 लाख की राशि व्यय करते हुए 77% भौतिक प्रगति प्राप्त करते हुए कार्य बंद कर दिया गया था, कार्य बन्द होने की वास्तविक तिथि कहीं अंकित नहीं थी।

मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल कार्यालय द्‌वारा निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों एवं पत्रावली का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा था तथा इकाई द्‌वारा तैयार की जा रही मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या भी अवास्तविक तथ्यों पर आधारित थी जांच मे यह

पाया गया की प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु सम्पूर्ण राशि यथा समय निर्गत करने के बाद भी बार बार पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था इस सम्बंध विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह की प्रश्नगत निर्माण कार्य को निर्धारित मनको के अनुरूप एवं समय से पूर्ण कराने के लिए विभाग द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के आभाव मे, तथा शासनादेश मे निहित शर्तों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ट्रांज़िट हॉस्टल हल्द्वानी के निर्माण कार्य पर किया गया व्यय रुपए 97.69 लाख न केवल निष्फल रहा अपितु अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी।

उक्त के सम्बंध संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि आगणन का गठन करने की कार्यवाही तथा भूमि की उपलब्धता समानान्तर रूप से की गयी। धनराशि उपलब्ध कराने के उपरान्त भूमि उपलब्ध करायी गयी एवं कार्य की स्वीकृति वर्ष 2007 में होने के कारण MOU नहीं कराया गया। विभाग द्वारा 31-12-2014 को पुनरीक्षित आगणन महानिदेशालय को प्रेषित किया गया स्वीकृति की अपेक्षा में कार्य बन्द है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु सम्पूर्ण राशि यथा समय निर्गत करने के बाद भी बार बार पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था। निर्माण कार्य को निर्धारित मनको के अनुरूप एवं समय से पूर्ण कराने के लिए विभाग द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। कार्यदायी संस्था की मनमानी के कारण निर्माण कार्य स्वीकृत तिथि से 09 वर्ष बाद भी अपूर्ण था, जिससे स्थानीय जनता को स्वास्थ्य सेवायें उलब्ध कराने का उद्देश्य विफल रहा ।

अतः विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के आभाव मे तथा शासनादेश मे निहित शर्तों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ट्रांज़िट हॉस्टल हल्द्वानी के निर्माण कार्य पर किया गया व्यय रुपए 97.69 लाख न केवल निष्फल रहा अपितु अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 2:- <u>निरर्थक व्यय रूपये 715.44 लाख</u>

विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के आभाव मे रूपये 715.44 लाख के व्यय के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त रहना

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 839/XXVIII–5–2007–147/07 दिनांक 26.12.2007, 103/XXVII–5–2008–147/07 दिनांक 11.02.2008, 875/XXVIII–5–2006–168/06 दिनांक 23.11. 2006, 840/XXVIII–5–2007–147/07 दिनांक 30.11.2007 एवं 411 (1)/XXVIII–5–2011–23/2008 दिनांक 22.02.2011 द्वारा जनपद नैनीताल मे मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल के प्राधिकार क्षेत्र मे राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय भवन, स्वास्थ केंद्र, परिवार कल्याण उपकेंद्र भवन आदि जैसे महत्वपूर्ण एवं जीवन उपयोगी तथा सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए सात भवन का निर्माण कार्य संपादित होना था। उक्त सभी कार्य वर्ष 2007-08 मे विभिन्न तिथियों मे स्वीकृत हुआ था जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड हल्द्वानी इकाई द्वारा किया जा रहा था । विवरण निम्नवत था -

(धनराशि रूपये लाख मे)

क्रं सं	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	स्वीकृति तिथि	कार्यदायी संस्था को अवमुक्त राशि	वित्तीय प्रगति	अक्टूबर 2016 तक भौतिक प्रगति	पुनरीक्षित लागत
1	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा, ढोलीगाव नैनीताल	45.00	839/XXVIII-5-2007-147/07 दिनांक 26.12.2007	44.50	80%	30%	168.63
2	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, धु धु सिगड़ी नैनीताल	44.29	839/XXVIII-5-2007-147/07 दिनांक 26.12.2007	44.29	100%	47%	145.46
3	हल्द्वानी मे हार्ट सेन्टर स्थित आवास का निर्माण	69.61	103/XXVIII-5-2008-147/07 दिनांक 11.02.2008	69.61	100%	87%	119.23
4	हल्द्वानी बेस हास्पिटल मे आवास का निर्माण	58.23	103/XXVIII-5-2007-143/07 दिनांक 11.02.2007	58.23	100%	46%	156.50

5	राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र मोती नगर का निर्माण	362.00	875/XXVIII-5-2006-168/06 दिनांक 23.11.2006	362.00	100%	87%	502.35
6	राज्य योजमा के अन्तर्गत परिवार उपकेन्द्रों का निर्माण	92.12	840/XXVIII-5-2007-147/07 दिनांक 30.11.2007	92.12	100%	93%	103.77
7	ट्रांज़िट हॉस्टल हल्द्वानी का निर्माण	97.69	411(1)/XXVIII-5-2011-23 /2008 दिनांक 22.02.2011	97.69	100%	77%	182.76

मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल के बृहद निर्माण कार्य से संबन्धित लेखा अभिलेखों के नमूना जांच (नवम्बर 2016) मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि प्रश्नगत निर्माण कार्यों का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा न तो समय से प्रारम्भ किया गया और न ही समय से पूर्ण किया गया । कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्यों मे अनावश्यक विलम्ब करते हुए पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया था जिसकी स्वीकृति संप्रेक्षा तिथि (नवम्बर 2016) तक अप्राप्त थी, परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराये जा रहे समस्त निर्माण कार्यो पर रूपये 715.44 लाख की धनराशि व्यय करने के बाद भी न केवल अपूर्ण था अपितु निर्माण के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति आप्राप्त थी जो कि जनता के हितों की हानी थी । जांच मे यह भी पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया था जो की विभागीय उदासीनता का परिचायक था। यदि विभाग द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य का अनुश्रवण किया जाता और निर्माण कार्य को स्वीकृत राशि मे व निर्धारित समय मे पूर्ण करने के लिये विभाग और कार्यदायी संस्था के मध्य अनुबंध अथवा एम० ओ० यू० गठित किया गया होता तो प्रश्नगत निर्माण कार्य समय से पूर्ण हो जाता और उसका लाभ स्थानीय जनता को मिलता ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव मे, जनपद नैनीताल मे चिकित्सा विभाग के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों पर किया गया रूपये 715.44 लाख का व्यय निरर्थक रहा तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी चिकित्सालय एवं परिवार कल्याण भवन का समय से निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण उससे होने वाले लाभ से स्थानीय जनता विगत पाँच छः वर्षों से वंचित थी, जो कि जनहित की हानी थी।

उक्त के सम्बंध संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि परियोजना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये आगणन का गठन तथा भूमि की उपलब्धता समानान्तर रूप से की गयी कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध करने के उपरान्त भूमि भी उपलब्ध करा दी गयी। वर्ष 2008 के पूर्व एमओयू की व्यवस्था नहीं हौंने से MOU नहीं हो सका। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। निर्माण कार्य धनाभाव के कारण कुछ समय कार्य बन्द रहा तथा विभाग द्वारा समय- समय पर निर्माण इकाइयों की बैठक ली गयी एवं कार्यदायी संस्था को कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि विभाग को निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि की प्रथम किश्त जनवरी 2008 तक उपलब्ध करा दी गयी थी। अतः निर्माण कार्य पर किया गया व्यय न केवल निरर्थक रहा, अपितु चिकित्सालय एवं परिवार कल्याण भवन का समय से निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण उससे होने वाले लाभ से स्थानीय जनता विगत पाँच छ: वर्षों से वंचित थी, जो कि जनहित की हानी थी।

अतः विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव मे निरर्थक व्यय रूपये 715.44 लाख के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 3:- निरर्थक व्यय धनराशि रू 15.83 लाख ।

ProMis Software की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं किये जाने से सॉफ्टवेयर पर किया गया निरर्थक व्यय धनराशि रू 15.83 लाख ।

ProMis Software की स्थापना वर्ष 2011-12 के दौरान की गयी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्टोर में प्राप्त की गयी दवाओं एवं अन्य सामग्री की ऑनलाइन रेपोर्टिंग व forecasting वास्तविक स्थिति की जानकारी किसी भी स्थान पर प्राप्त की जा सके, और शासकीय चिकित्सालयों की मांग पर औषधियों की त्वरित आपूर्ति के उद्देश्यों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक सामुदायिक केन्द्र को जनपदीय कार्यालय से तथा जनपदीय को राज्य स्तरीय केन्द्र से इन्टरनेट के माध्यम से जोडा गया।

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल के ProMis Software के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि इसके लिए सरकार द्वारा इसके संचालन हेतु आठ कार्मिकों को पदस्थ किया गया था, जिसके लिए कार्मिकों को 11/2014 से 03/2015 तक की अवधि में धनराशि रू 1583480/- का भुगतान किया गया। जबकि इन कार्मिकों के द्वारा ProMis Software के अतिरिक्त अन्य कार्य कार्मिकों से किया जा रहा है। विभाग द्वारा न तो आवश्यक औषधियों की मांग चिकित्सालय स्तर से जनपद स्तर पर और न ही जनपदीय कार्यालय से राज्य स्तरीय केन्द्रों को प्रोमाइस के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। जनपद में आज भी औषधियों की मांग एवं आपूर्ति पहले की भांति प्रचलन में थी,उसी प्रकार किया जा रहा है। इस प्रकार कार्मिकों से अन्य कार्यो को कराये जाने से ProMis Software को लगाए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रही। इस प्रकार ProMis Software के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं किये जाने से किया गया व्यय निरर्थक रहा।

उक्त के सम्बंध संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि ProMis Software का संचालन राज्य स्तर से नहीं हो पाया। वर्तमान में ProMis Software का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा इसमें मानदेय मद में भुगतान किया जा रहा है

विभाग का उत्तर स्वतः ही सम्प्रेक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः ProMis Software की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं किये जाने से सॉफ्टवेयर पर किया गया व्यय रू 15.83 लाख निरर्थक रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 4:- धनराशि रू॰ 16.37 लाख की औषधियों की खरीद टुकड़ों में विभाजित करके किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 की धारा 3 (10) के अनुसार यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए एवं सामग्री क्रय करने के लिए छोटे-छोटे टुकडों में विभक्त नहीं करना चाहिए। तथा औषधि क्रय नीति, 2015 में स्पष्ट निर्देश दिये गए है कि औषधि सिर्फ निविदा के माध्यम से क्रय नहीं की जाएगी। जैसा कि बिन्दु संख्या -15 में निर्देशित है कि अधिकारियों के द्वारा कोटेशन (Quotation) प्रक्रिया द्वारा कोई भी क्रय नहीं किया जायेगा केवल आकस्मिकता यथा आपदा, बाढ़, दुर्घटना आदि परिस्थितियों में अधिप्राप्ति नियमावली-2008 एवं संशोधित नियमावली 2015 के अनुसार क्रय किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल के औषधि क्रय पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान रू॰ 1636973/- की क्रय की गई औषधियों को टुकड़ों में बांटकर बिना कोटेशन के द्वारा क्रय किया गया। उक्त औषधियों का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अनुसार कोटेशन/ निविदा प्रक्रिया को अपनाकर क्रय किया जाना चाहिए था परंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा औषधियों को टुकड़ों में बांटकर क्रय किया गया। जिसका विवरण सलग्नक के अनुसार है-

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा न केवल उक्त दवाओं को छोटे - छोटे टुकड़ों में विभाजित करके क्रय किया गया है बल्कि औषधि क्रय नीति 2015 के बिन्दु संख्या -15 में निर्देशित अधिकारियों के द्वारा कोटेशन (Quotation) प्रक्रिया द्वारा कोई भी क्रय नहीं किया जायेगा, केवल आकस्मिकता यथा आपदा, बाढ़, दुर्घटना आदि परिस्थितियों में अधिप्राप्ति नियमावली-2008 एवं संशोधित नियमावली 2015 के अनुसार क्रय किया जायेगा का भी पालन नहीं किया गया। विभाग द्वारा उन नियमों की अनदेखी करते हुये नियम के विरुद्ध अनावश्यक रूप से रू॰ 16.37 लाख की दवाओं का क्रय किया गया।

उक्त के सम्बंध संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि चिकित्सालयों को एक साथ कई तरह के मरीजों के हितों में औषधियों कि आवश्यकता होती है। आठ बजट की सीमा को देखते हुये समस्त औषधियों कि मांग और आपूर्ति निरन्तर सुचारु रूप से सन्तुलन आवश्यक है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि केवल आकस्मिकता यथा- आपदा, बाढ़, दुर्घटना आदि परिस्थितियों में अधिप्राप्ति नियमावली-2008 एवं संशोधित नियमावली 2015 के अनुसार क्रय किया जाना था लेकिन विभाग द्वारा उक्त अवस्था के विपरीत औषधियों का क्रय उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिये टुकड़ों में विभाजित कर किया गया था। उक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा नियमों के विरुद्ध उक्त औषधियों का क्रय किया गया। अतः धनराशि रू॰ 16.37 लाख की औषधियों की खरीद टुकड़ों में विभाजित करके किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- विभाग की उदासीनता के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति न किया जाना।

भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 0-18 वर्ष (0-6माह, 6माह-6वर्ष, 6वर्ष-18वर्ष) के उन बच्चो का चयन करना है जो 4 Ds (Defect at Birth, Diseases, Deficiencies & Development delays including Disabilities) से संबन्धित है । बच्चो का चयन आंगनवाड़ी केन्द्रो पर साल मे कम से कम दो बार और स्कूलो मे एक बार होना चाहिए और प्रत्येक ब्लॉक मे कम से कम तीन mobile health team द्वारा बच्चो का चयन किया जाना चाहिए । RBSK का उद्देश्य उन बच्चो को diagnose करके उनका उपचार करना है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि में आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रतिवर्ष कम से कम दो बार और स्कूल मे एक बार screening किए जाने हेतु सरकार की ओर विभाग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनको वर्षवार पूरा किया जाना था जिसे विभाग द्वारा पूरा नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न है:-

क्रम संख्या	वर्ष	निर्धारित किया गया लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
1	2013-14	17582	11742	66.78
2	2014-15	57565	43485	75.54
3	2015-16	66896	58704	87.75
योग		**142043**	**113931**	**80.20**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि तीन वर्षों में निर्धारित लक्ष्य 142043 के सापेक्ष 113931 कुल 80.20 प्रतिशत ही प्राप्त किया गया जिससे 28112 बच्चों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल सका। इससे यह परिलक्षित होता है कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभाग की उदासीनता के कारण उक्त लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

उक्त के सम्बंध संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया
विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिये तथा लक्ष्य की प्राप्ति न करना विभाग की उदासीनता को परिलक्षित करता है और संप्रेक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः विभाग की उदासीनता के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

औषधियों को टुकड़ों में बाँटकर क्रय किए जाने का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	कंपनी का नाम	बिल क्रमांक दिनांक	भुगतान की गयी धनराशि
1	2014-15	Universal Enterprises	6374/09.3.15	1,00,778.00
2	2014-15	Universal Enterprises	6387/14.3.15	1,00,414.00
3	2014-15	Universal Enterprises	6384/14.3.15	1,00,414.00
4	2014-15	Universal Enterprises	6389/14.3.15	1,00,414.00
5	2014-15	Universal Enterprises	6385/14.3.15	1,00,778.00
6	2014-15	Universal Enterprises	6392/14.3.15	95,721.00
7	2014-15	Universal Enterprises	6503/16.3.15	70,466.00
8	2014-15	ZimZ Laboratories Ltd	259/23.3.15	1,00,874.00
9	2014-15	ZimZ Laboratories Ltd	229/23.3.15	1,00,874.00
10	2014-15	Alps Pharmaceutical (Pvt) Ltd.	032G/23.3.15	98,779.00
11	2014-15	Alps Pharmaceutical (Pvt) Ltd.	031G/23.3.15	94,605.00
12	2014-15	Universal Enterprises	6645/25.3.15	25,946.00
13	2014-15	AGRON Remedies (pvt) Ltd	00328/27.3.15	46,500.00
14	2014-15	Alps Pharmaceutical (Pvt) Ltd.	054G/27.3.15	98,779.00
15	2014-15	Alps Pharmaceutical (Pvt) Ltd.	052G/27.3.15	98,779.00
16	2014-15	Universal Enterprises	6386/31.3.15	79,886.00
17	2015-16	Universal Enterprises	7523/02.2.16	17,325.00
18	2015-16	Universal Enterprises	7539/11.2.16	58,118.00
19	2015-16	Universal Enterprises	7565/18.2.16	97,542.00
20	2015-16	Universal Enterprises	7708/14.3.16	49,981.00
Total				**1636973.00**

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– ।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर संख्या	
125 / 2012–13	0	04	
.... /	01	02	03
2001–02	04	04	
143 / 2006–07	03	03	
143 / 2007 / 08	01	02	
...... / 121 / 2014–15	01	2, 3, 4, 5,6	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
....	....	............अप्रस्तुत.........	....	....

AIR No.-106/2016-17

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

,—— शून्य ——

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) अनुपालन आख्या, लघु निर्माण कार्य से सम्बन्धित, प्राप्ति शीर्ष 01/2015 के चालान तथा एन.आर.एच.एम. के वर्ष 2015–16 का तुलन पत्र बैंक समाधान विवरण एवं आय–व्यय विवरण।

2. सतत् अनियमितताएः 03/2015 एवं 03/2016 के धनराशि रू0 66.79 लाख के वाउचर्स अप्रस्तुत है।

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा. एल.एम. उप्रेती	मु.चि.अधिकारी	04/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र